RB/Estt. No.82/2010

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2003/PM1/37 New Delhi, dated 08.06.2010

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs.
(As per standard list)

Sub:- Procedure for conducting selections for promotion to post classified as 'Selection' – Coding & decoding of roll numbers.

As Railways are aware in terms of instructions contained in this Ministry's letter of even number dated 23.03.2004, coding & decoding of roll numbers after the written test is over shall be the responsibility of the Personnel Officer of the department for which selection is held. In case of Personnel Department, the Personnel Officer other than the evaluating officer shall be the officer responsible for this purpose. The level of Personnel Officer for this purpose may be decided by the General Manager. However, it has been brought to the notice by the Central Vigilance Commission that Board's instructions indicated above are not being followed by the Railways. Recently in a selection on one of the Zonal Railways, it was noticed that due to large number of candidates, examination was conducted at more than one centres and coding of roll numbers was done by more than one officer, as against the extant instructions.

2. The matter has accordingly been considered and it is desired that Board's instructions in this regard should be scrupulously followed, i.e., coding & decoding shall be the responsibility of the single officer, i.e., Personnel Officer nominated for this purpose, even if examination is held at more than one centres and in no case it should be done by more than one officer. Similarly, in case of selections in Personnel Department, Personnel Officer other than evaluating officer shall be the officer responsible for this purpose and in no case evaluating officer shall be nominated for coding & decoding of roll numbers.

Please acknowledge receipt.

(Kajal Mukherjee)
Dy. Director Estt.(NG)I
Railway Board.

आरबी/स्था. सं.९२/2010

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I/2003/पीएम1/37 नई दिल्ली, दिनांक: 08 .06.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन ईकाईयां।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: 'चयन' के रूप में वर्गीकृत पद पर पदोन्नति के लिए चयन आयोजित करने की कार्यविधि - रोल नम्बरों की कोडिंग एवं डिकोडिंग।

जैसा कि रेलों को विदित है, इस मंत्रालय के दिनांक 23.03.2004 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद रोल नम्बरों की कोडिंग एवं डिकोडिंग की जिम्मेदारी उस विभाग के कार्मिक अधिकारी की है जिसके लिए चयन आयोजित किया गया है। कार्मिक विभाग के मामले में, मूल्यांकन अधिकारी के अलावा कार्मिक अधिकारी इस प्रयोजन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होगा। इस प्रयोजन के लिए कार्मिक अधिकारी के स्तर के बारे में निर्णय महाप्रबंधक द्वारा लिया जाएगा। बहरहाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ध्यान में लाया गया है कि बोर्ड के ऊपर दिए गए अनुदेशों का रेलों द्वारा अनुसरण नहीं किया जा रहा है। हाल ही में, एक क्षेत्रीय रेलवे पर चयन में यह नोट किया गया था कि उम्मीदवारों की अधिक संख्या के कारण परीक्षा एक से अधिक केन्द्रों पर आयोजित की गई थी तथा वर्तमान अनुदेशों के विपरीत रोल नम्बरों की कोडिंग एक से अधिक अधिकारी द्वारा की गई थी।

2. तदनुसार, मामले पर विचार किया गया है तथा यह वांछा की जाती है कि इस संबंध में बोर्ड के अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए अर्थात् कोडिंग एवं डिकोडिंग केवल एक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नामित कार्मिक अधिकारी, चाहे परीक्षा एक से अधिक केन्द्रों पर आयोजित हो तथा किसी भी मामले में यह एक से अधिक अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, कार्मिक विभाग में चयनों के मामले में, मूल्यांकन अधिकारी को छोडकर अन्य कार्मिक अधिकारी इस प्रयोजन के लिए जिम्मेदार होगा तथा किसी भी मामले में मूल्यांकन अधिकारी को रोल नम्बरों की कोडिंग तथा डिकोडिंग के लिए नामित नहीं किया जाएगा।

कृपया पावती दें।

काजल

(काजल मुखर्जी)
उप निदेशक, स्था. (अराज)I
रेलवे बोर्ड

....2/-